



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/CHAITRA 10, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सा.का.नि. 368(अ).—ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन), केन्द्रीय नियम, 1971, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन), अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-सह-महानिदेशक (श्रम कल्याण) जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते हैं;

केन्द्रीय सरकार, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन), केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25 के उपनियम (2) में खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

- “(iv) ठेकेदार द्वारा कर्मकार को संदेय मजदूरी की दरें निम्नलिखित से कम नहीं होंगी-
- (क) ऐसे नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन विहित दरें जहां लागू हों ; या
- (ख) करार, परिनिर्धारण या पंचाट द्वारा नियत दरें, यदि कोई हों ; या
- (ग) दस हजार रुपए,
- इनमें से जो भी अधिक हो” ।

[सं. एस.-16016/21/2016-एल.डब्ल्यू(ए)]

विपिन मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय श्रम (विनियमन और उत्पादन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन), केन्द्रीय नियम, 1971 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191, तारीख 10 फरवरी, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार इन्हें अधिसूचना सं. सा.का.नि.41(अ), तारीख 21 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

G.S.R. 368(E).—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India-cum-Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, in rule 25, in sub-rule (2), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—
 - “(iv) the rates of wages payable to workmen by the contractor shall not be less than—
 - (a) the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for such employment where applicable; or
 - (b) the rates, if any, fixed by agreement, settlement or award; or
 - (c) ten thousand rupees,
 whichever is higher;”.

[No. S-16016/21/2016-LW (A)]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy.

Note:- The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 41(E), dated the 21st January, 1999.